

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679  
Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1228/36सी.  
सेवा में,

दिनांक रानीखेत अप्रैल 4, 2019

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा में झिमार बाजार से तल्ला विरलगांव तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरकराम के नाम मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.250किमी.) 2.6802हे0।(प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/36077/2018)

सन्दर्भ :-

नोडल आफिस, देहरादून की EDS दिनांक 08.04.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा अपनी EDS दिनांक 08.04.2019 से छः बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिनका ऑन लाईन निराकरण कर प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Same documents has been uploaded in the place of Ownership proof and MoU at section L (iv-f.g) in Form A, Part I.	जो प्रपत्र स्वामित्व व करार प्रपत्रों की जगह अपलोड हो गये थे उन्हें हटाकर स्वामित्व व करार का प्रमाण पत्र पार्ट 1 के L सैक्शन के (iv-f.g) में अपलोड कर दिया गया है।
2.	Some other document has been uploaded in the place of non encumbrance certificate at section L (iv-h) in Form A, Part I.	अतिक्रमण सम्बन्धी प्रमाण पत्र के स्थान पर जो अन्य प्रपत्र अपलोड हो गये थे उन्हें हटाकर अतिक्रमण सम्बन्धी प्रमाण पत्र पार्ट 1 के L सैक्शन के (iv-h) में अपलोड कर दिया गया है।
3.	Alternate alignment document is not opening. Please re-upload the document at section D (ii) in Part I.	अलटरनेट एलाइमेंट मानचित्र जो आन लाईन नहीं खुल रहा है उसे पुनः पार्ट 1 के D सैक्शन के (ii) में अपलोड कर दिया गया है।
4.	Village Level Committee proceeding is provided in the FRA document at column K in part I but name of villages are not mentioned in villages wise break up in online part-I The user agency may do necessary correction and provide VLC proceeding for each village separately with separate attendance sheet through which the proposed road is passing	वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम स्तरीय बैठक का प्रमाण पत्र जो पार्ट 1 के कॉलम K में अपलोड किया गया था उसे पुनः सभी ग्रामों की उपस्थिति में प्रमाण पत्र अलग अलग पार्ट 1 के कॉलम K में अपलोड कर दिया गया है।
5.	Area mentioned in Village wise breakup at B-2.3 and Component wise breakup at B-2.4 are mismatch in figure in Form A, Part I. please rectify it.	ग्रामवाईज ब्रैकअप व कम्पोनेंट वाईज ब्रैकअप का सही मिलान कर उसे पार्ट 1 में सही स्थान में अंकित कर दिया गया है।
6.	The certificate of aerial distance of the project area in not found uploaded in Form A, part I.	मोटर मार्ग से रामनगर कार्बेट नेशनल पार्क से दूरी का प्रमाण पत्र पार्ट 1 में ऑन लाईन कर दिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत

पत्रांक / तददिनांकित।  
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(नोडल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत